न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 89 / 2011

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 भंवरलाल पुत्र रामेश्वर।
2 सुरेश पुत्र रामेश्वर।
3 नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर।
4 नरेश पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी मोहनलाल।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र मोहनलाल।
3 महेश पुत्र मोहनलाल।
4 मन्जु देवी पुत्री मोहनलाल।
5 करणा राम पुत्र चोखाराम।
6 सुखदेवाराम पुत्र चोखाराम।
7 भगवानाराम पुत्र उदा।
8 हेमाराम पुत्र उदा।
9 श्रीमती मोहनी पत्नी भींवाराम।
10 मुकेश पुत्र भींवाराम।
11 गोपाल पुत्र भींवाराम।

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

12 अनिता पुत्री भींवाराम।
13 श्रीमती बबीता पुत्री भींवाराम।
14 हरफूल सिंह पुत्र नानू।
15 हरिराम पुत्र नानू।
16 हरदयाल पुत्र नानू।
17 दानाराम पुत्र नानू।
18 पूरणी पत्नी नानू।
19 फूलचन्द दतक पुत्र गोदू।
20 गोमा पुत्र नारायण।
21 रामदेवा पुत्र कुशला।
22 बेगाराम पुत्र कुशला।
23 जमनी पत्नी कुशला समस्त जाति जाट निवासीगण शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
24 तहसीलदार भू–धारक तहसील सीकर।
25 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ़ रोड़ सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 10.06.2011 जिसके अनुसार वादीगण संख्या 5 लगायत 6 व मोहनलाल पुत्र चोखाराम वादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा बउनवानी मोहनलाल बनाम भंवरलाल आदि, वाद संख्या 272/06 डिक्री किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमर सिंह सुण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री संतोष कुमार मिश्रा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–05.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा वाद संख्या 272/06 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पति तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 ने एक दावा विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 1 से 4 व शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्व ग्राम शिवसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 75,76,71, 75/281 के सन्दर्भ में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई है। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष ने प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करने पर सहमती व्यक्त की कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। चूकि उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रकरण सहमती से विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने का निवेदन किया है। अत न्यायाहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.12.2018 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर